

593
राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र.प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट-VIII

जयपुर, दिनांक: 17 JUL 2017

आदेश

विभागीय आदेश क्र.प.10(193)नविवि/3/2009पार्ट-II दिनांक 27.05.2015 के द्वारा मोस गोदाम, स्टोन क्रेशर उद्योग एवं ईट भट्टा हेतु मानदण्ड जारी किये गये हैं। ईट भट्टा मास्टर प्लान के परिधि नियंत्रण पट्टी में न्यूनतम 18 मीटर (60 फीट) चौड़ा पहुंच मार्ग पर अनुज्ञेय है। ईट भट्टे हेतु पहुंच मार्ग के अलावा अन्य बाह्य विकास कार्य करवाये जाने आवश्यक नहीं है। अतः ईट भट्टे के नियमन/रूपान्तरण के प्रकरण में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (10 हैक्टर से कम) के बिन्दु सं. 10.00 की टिप्पणी (9) के अनुसार औद्योगिक भूखण्डों द्वारा वर्तमान सुविधाओं के उपयोग की एवज में बाह्य विकास शुल्क निम्न दर से लिया जावे :-

- क. 50,000 तक जनसंख्या के शहरों के लिये -- रुपये 20/- प्रति वर्गमीटर
- ख. 50,000 से अधिक 1,00,000 तक जनसंख्या के शहरों के लिये -- रुपये 30/- प्रति वर्गमीटर।
- ग. 1,00,000 से अधिक जनसंख्या के शहरों के लिये -- रुपये 50/- प्रति वर्गमीटर।

यदि ईट भट्टे के किसी प्रकरण में पहुंच मार्ग 18 मीटर (60 फीट) से कम उपलब्ध है तो भूखण्ड के सामने विद्यमान सड़क की चौड़ाई नियमानुसार न्यूनतम 18 मीटर किये जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 9 मीटर (30 फीट) चौड़ाई की भू-पट्टी निःशुल्क समर्पित करवायी जावेगी। यदि किसी प्रकरण में पहुंच मार्ग भूखण्ड की सीमा के समानान्तर न होकर लम्बवत हो एवं भूखण्ड पर पहुंच कर समाप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भविष्य हेतु पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 60 फीट निर्धारित की जावे।

14/7/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम